

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम-28)

2013/00231

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

नियम

अज अवालत

212/12

बजाम

नियम

किरम मुकदमा

(129) Fst. 136, P.L.R. Code

149

सन 2013

यद्यपि यह कार्य
अहकाम को इस हकूम
की कार्यवाही में नहीं है।

तारीख
हकूम

हकूम या कार्यवाही मय इतिशायत्य नम

21/7/13

राज्य सरकार की ओर से सरकारी पैरीकार उपस्थित।
वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 130, 131, 138 नू-राजस्व अधिनियम
संपठित नियम 59, 60, 66, 88 नू-अभिलेख नियम 1970 के तहत
भूमिधारक तहसीलदार पंचपदरा के द्वारा सम्बन्धित खसरे के
खातेदारान के विरुद्ध पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की प्रकरण
राजस्व विविध दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण खातेदारान को नोटिस
जारी हो। पत्रावली वास्ते तामिल/जवाब दिनांक 20/8/13 को पेश
हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

20/8/13

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
आज प्रमण पर होने से पत्रावली
दिनांक 28/8/13 को पेश हो।

(सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा)

28/8/13

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली उपस्थित
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
अरध अोजा मण्डवास के खसरा न.
11 से 21 व्यक्तियों को आवंटन,
मिषजन किया गया एवं आवंटन
मिषजन के अनुसार पत्रावली
हस्ता द्वारा मौजे पर लप्या
दिया जाकर नामा-तदंगर की
कार्यवाही की जाकर पत्रावली
से नवसृजित खसरो की तरकीम

की अभी है। परिशिष्ट 12 के अनुसार तथा ट्रेड में तस्वीर की जा चुकी है। एवं तस्वीर न सलजा में भिन्नता होने पर प्रभावित खाते राट आर प्राप्ति का पत्र पेश करे।

इतः तस्वीरों में बढ़ते आने से खासतः न. देने हेतु शुद्धि का प्राधान्य है। एवं कम्प्यूटर राइट प्रभावित नदरी होने पर राज्य सरकार का परिक्षा जारी कर एक राजस्व आग उमाइ आन कर जारी शुद्धि का जारी कर सशोधन करने का जारी हो चुका है। प्राप्ति का प्रभावहीन होने से खातिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,